

अतः पत्रावली पूर्व दिशानुसार वि. 14/11/23 को पेश हो।

4.10.23 पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं
गवाह श्री..... अधिवक्ता गण
उपस्थित..... उपस्थित नहीं आए
अतः पत्रावली पूर्व दिशानुसार वि. 14/11/23 को पेश हो।

8/11/2023
Not Pross

महशिलाल

वकील

जमेकु

नि. 11/2/2023

व. 9/1/21

बादिया भानीबाई के वारिसान श्री भांगीछात्र, बदरीचन्द, बगलुबाई, पारसबाई ने उपस्थित होकर न्यायालय राजा में विचाराधीन बाद प्रकरण सं. 131/2016 को नोट प्रेस किया गया बाद प्रकरण को शक भवना नहीं पाहते हैं। बादिया के वारिसान श्री पदयाक श्री मोहम्मद हसन खान एडवोकेट द्वारा की गई। बादिया के अधिवक्ता को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद जाम अवलोकन बाद प्रकरण को नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला सुमाए लेकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

